

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उधम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,

टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना-८०००२३

स्पीड-पोस्ट

Ref.No.PGCIL/ER-I/RTI-216/2019-20/

दिनांक:08.08.2019

सेवा में,

श्री मणि कुमार,

ग्राम-अशोकनगर, भाया-मुरलीगंज,

पो.नौलखी, जिला-पूर्णिया-852122 (बिहार)

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

संदर्भ ईमेल के द्वारा आवेदन रजि.न. PGCIL/R/2019/M-33 & RTI/2018-19/18281

दिनांक-16.07.2019 ।

महाशय,

आपके द्वारा ईमेल के द्वारा आवेदन रजि.न. PGCIL/R/2019/M-33 & RTI/2018-19/18281 दिनांक-16.07.2019 को आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन ईमेल द्वारा मुख्यालय, पटना, आर.टी.आई. कार्यालय को अग्रसारित किया गया था, जो हमारे कार्यालय को 24.07.2019 को प्राप्त हुआ था, का संदर्भ लें। आपके आवेदन को सम्बंधित कार्यालय को सूचना/उत्तर प्राप्त के लिए अग्रसारित किया गया था। सम्बंधित कार्यालय के द्वारा दिनांक-08.08.2019 को सूचना/उत्तर प्राप्त हुआ है।

आपके द्वारा पूर्व में आर.टी.आई.अधिनियम-2005 के अंतर्गत पूछे गये सभी आवेदन एवं प्रथम और द्वितीय अपील का विवरण बिंदुवार निम्नलिखित है:-

क्रमसं.	आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन की तिथि	आर.टी.आई. पावरग्रिड, मुख्यालय पटना द्वारा दिये गये सूचना/उत्तर की संदर्भ सं. एवं तिथि
०१.	आपका आवेदन दिनांक- 01.04.2015; 05.05.2015; & 11.06.2015.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई./ 2015-16/220/518 दिनांक-16.06.2015 दिया जा चुका है।
०२.	आपका आवेदन दिनांक- 01.07.2015.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई. /2015-16/241/634 दिनांक-13.07.2015, अनुलग्नक-क (पेज-4 न.) के रूप में संलग्न कर दिया जा चुका है।
०३.	आपका आवेदन दिनांक- 01.04.2015; 06.07.2015.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई./ 2015-16/217/678, दिनांक-20.07.2015, अनुलग्नक-क (पेज-7 न.) के रूप में संलग्न कर दिया जा चुका है।

पेज...2/-


०४.	आपका आवेदन दिनांक- 01.04.2015; 06.07.2015.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तरन.पू.क्षे.1/आर.टी.आई./ 2015-16 /241/R/677 दिनांक-20.07.2015,को दिया जा चुका है।
०५.	आपका आवेदन दिनांक- 08.04.2015; 08.04.2015; 13.05.2015; 17.06.2015; 25.07.2015; 28.7.2015; 03.08.2015; 24.08.2015; 27.08.2015;	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/ आर.टी.आई./ 2015-16/249/1001 दिनांक-28.09.2015, अनुलग्नक-क (पेज-4 न.) के रूप में संलग्न कर दिया जा चुका है।
०६.	आपका आवेदन दिनांक- 25.07.2015; 24.09.2015; 28.09.2015.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई. /2015-16/249/1046 दिनांक-14.10.2015, अनुलग्नक-क (पेज-148 न.)के रूप में संलग्न कर दिया जा चुका है।
०७.	आपका आवेदन दिनांक- 25.7.2015;अपील-24.8.2015; 24.09.2015; 12.10.2015.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई./ 2015-16/220/1142 दिनांक-23.10.2015, अनुलग्नक के रूप में संलग्न कर दिया जा चुका है।
०८. क. ख.	आपका आवेदन दिनांक- 28.07.2015; प्रथम अपील के आवेदन की तिथि- 13.10.2015; 29.10,2015; 20.11.2015; एवं 08.12.215.	क.सूचना अधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने की तिथि-28.09.2015 तथा 14.10.2015. ख.प्रथम अपीलीय प्राधिकार- पावरग्रिड पू.क्षे.1, पटना के द्वारा सूचना/उत्तर पू.क्षे.1/आर.टी.आई. /अग्र./2015-16/252/1693, दिनांक-18.01.2016, को निरस्त किया जा चुका है।
०९.	आपका आवेदन दिनांक- 10.08.2016.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई./ अग्र./2016-17/29/1075 दिनांक-15.09.2016, सूचना/उत्तर दिया जा चुका है।
१०.	आपका आवेदन दिनांक- 12.09.2016.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई./ अग्र./2016-17/29/1110,दिनांक-29.09.2016, सूचना /उत्तर दिया जा चुका है।
११.	आपका आवेदन दिनांक- 13.10.2016.	पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई./ अग्र./2016-17/57/1217 दिनांक-27.10.2016, सूचना/उत्तर दिया जा चुका है।

१२.	<p>2. CIC No.CIC/YA/A/2016/001479 Dated: 19.05.2017 (Hearing on 05.06.2017).</p> <p>Date of RTI - 28.07.2015 CPIO Reply - 28.09.2015 Ist Appeal made - 27.08.2015 Ist Appeal order - 18.01.2016</p>	<p>(E) Reply sent to Applicant vide Ref.No.RTI/अग्र./13/2017-18/88/291 Dated 31.05.2017 and copy to CIC New Delhi, Vide complaint Ref.No.CIC/YA/A/2016/001479 dated 19.05.2017.</p> <p>(F) Appeal has disposed by CIC vide Decision No.CIC/YA/A/2016/001479 dated 05.06.2017.</p> <p>(G) Recieved CIC-Decision-POWERGRID/RTI/Office on 19.06.2017.</p> <p>(H) Reply sent to Applicant vide POWERGRID/RTI REF.No.RTI/अग्र./Appeal/13/2017-18/579 dated 04.07.2017.</p>
१३. क.	<p>आपका आवेदन दिनांक- 18.07.2017.</p>	<p>क.पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.पू.क्षे.1/आर.टी.आई./अग्र./Appeal/15/2017-18/814 दिनांक-31.07.2017, सूचना/उत्तर दिया जा चुका है।</p>
ख.	<p>Letter from CIC vide No.CIC/YA/A/2016/001479/SB dated 01.01.2018.</p>	<p>ख.POWERGRID/RTI/RTI-OFFICE. Patna. Replied to CIC New Delhi vide Ref.No. RTI/अग्र./Appeal/ 19/ 2017-18/4437, dated-10.01.2018.</p>
१४.	<p>आपका आवेदन दिनांक- 07.03.2019.</p>	<p>पावरग्रिड पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग पटना के द्वारा सूचना/उत्तर न.PGCIL/ER-I/RTI-191/2018-19/47 दिनांक-05.04.2019, सूचना/उत्तर दिया जा चुका है।</p>

सभी कार्य पुरा होने के पश्चात, +/- 800 के.वी. ईस्लामपुर - सहारसा ट्रांसमिशन लाईन दिनांक-नवम्बर-2015 को कमिशन किया गया । सभी किसानो का मुआवजा राशि वितरण किया जा चुका है। यह ट्रांसमिशन लाईन पूर्णिया औफिस के देख-रेख में हैं।

जिसका पता निम्नलिखित हैं:-वरि.उप-महाप्रबंधक,

पावर ग्रिड ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
 पूर्णिया-न्यू पूर्णिया 400/220 के.वी. सब-स्टेशन,
 मारांगा, एन.एच.31, बाई पास, पोस्ट-लालगंज,
 पूर्णिया-854301 (बिहार).



-:04:-

आपको ज्ञात होगा की पूर्व में किसी भी किसान का मुआवजा राशि नहीं मिलने पर सभी किसान उपर्युक्त ऑफिस में जाकर अपना मुआवजा Settlement करते आये है। आपके द्वारा मांगी गई सूचना काफी पुरानी है । अतः सभी किसानो का विवरण देना सम्भव नहीं है एवं Larger interest में भी नहीं हैं।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार, आपके द्वारा समय-समय पर आवेदन सभी स्तर पर देकर सारी सूचना प्राप्त कर चुके है। पावरग्रिड का मूल्यवान समय एवं खर्च का दुरुपयोग, आपके द्वारा किया जा रहा है। (जैसा की CIC न्यू दिल्ली-CIC/SA/A/2014/900704; CIC/SA/A/2014/900708; CIC/SA/A/2014/900095 (Video conferece) द्वारा निर्णय दिनांक-19.02.2015 है, पूर्व में संलग्न कर दिया जा चुका है।) । अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में आप पावरग्रिड का समय एवं खर्च का दुरुपयोग करने का कष्ट नहीं करे।

सधन्यवाद।

भवदीय



(एम.के.अग्रवाल)

वरि.महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी